GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SUMAN PREET KAUR
D/o DAVINDER SINGH
RAM AVENUE MANDIR WALA
PLOT OPP. - NEW AMRITSAR GATE,
G.T. ROAD 406 PUNJAB - 143001
ROLL NO. 5118

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 चीका, खण्ड–चीका, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 चीका, खण्ड– चीका, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

KULWINDER KAUR
D/o RAMESH KUMAR
 # 17, CCET CAMPUS, SEC-26,
CHANDIGARH-160019
Roll No. - 5403

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 मोरनी हिल्स, खण्ड–मोरनी, जिला पंचकूला** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, पंचकूला से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, पंचकूला
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 मोरनी हिल्स, खण्ड मोरनी, जिला पंचकूला।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

RAJESH KUMAR YADAV
S/o LALARAM YADAV
VPO- SAKATPURA BAWAD
TEH.- MUNDAWAR,
DISTT. - ALWAR (RAJ) - 301706
ROLL NO. 5049

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 सीवन, खण्ड–सीवन, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 सीवन, खण्ड–सीवन, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

JYOTI YADAV
D/o RAJNESH
VILL.- CHANDAWAS,
PO DISTT. REWARI - 123401
ROLL NO. 5220

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 हनसका, खण्ड–रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, रेवाड़ी से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, रेवाड़ी।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 हनसका, खण्ड– रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, पानीपत।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 बापौली, खण्ड– बापौली, जिला पानीपत।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

ANIL KUMAR
S/o BALRAJ
VPO- SINGHWA KHAS,
TEH- HANSI, DISTT. - HISAR- 125042
ROLL NO. 5497

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः — **समावेशित शिक्षा परियोजना—माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0आदर्शव0मा0वि0, कुरूक्षेत्र खण्ड—थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:—

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/—रू0 अथवा 15000/— रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला—134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0आदर्श0मा0वि0, कुरूक्षेत्र खण्ड–थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SEEMA RANI
D/o GOURI SHANKER
I-L-13, SADBHAWNA NAGAR,
PO - SHUWALA,
SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN-335001
ROLL NO. 5354

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः — **समावेशित शिक्षा परियोजना—माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 बारागुढ़ा, खण्ड—बारागुढ़ा, जिला सिरसा** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:—

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/—रू0 अथवा 15000/— रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, सिरसा से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, सिरसा।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 बारागुढ़ा, खण्ड– बारागुढ़ा, जिला सिरसा।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

KUMARI SUDESH
D/o JAI VEER
W/o. TERSAM KUMAR,
HARPAL CHOWK, W.N.-10, SAINI MOHALLA,
NEAR S.S. PUBLIC SCHOOL, TOHANA
DISTT. - FATEHABAD – 125120
ROLL NO. 5465

आदेश कमांक **KW 1/4-2012 IED-SS (1)**
दिनांक, पंचकूला **07.08.2014**

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 टोहाना, खण्ड–टोहाना, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 टोहाना, खण्ड–टोहाना, जिला फतेहाबाद।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

BUTTA SINGH
S/o GURSEWAK SINGH
V.P.O - ALLOARKH,
BLOCK - BHAWANIGARH,
SANGRUR, PUNJAB-148026
ROLL NO. 5127

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 चीका, खण्ड–चीका, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 चीका, खण्ड–चीका, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

GURANDITTA SINGH
S/o NACHHATAR SINGH
VPO- NASIBPURA TEH. - TALWANDI SABO,
DISTT. BATHINDA (PUNJAB) - 151 001
ROLL NO. 5504

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 जाखल, खण्ड–जाखल, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**

14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।

16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**

17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 जाखल, खण्ड– जाखल, जिला फतेहाबाद।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

HAMID JAMAL KHAN
S/o SUHAIL TAYYAB
SA - 16/90, T-15 KH, AMANPURI COLONY,
CHAKBIHI SARNATH, VARANASI, U.P.-221007
ROLL NO. 5345

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 बबैन, खण्ड–बबैन, जिला कुरूक्षेत्र** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 बबैन, खण्ड–बबैन, जिला कुरूक्षेत्र।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

RAVI KUMAR
S/o MAHANVEER KUMAR
VPO- KANDHWALA AMARKOT (ABOHAR)
TEH.- ABOHAR DISTT. - FAZILKA – 152116
ROLL NO. 5309

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 कलायत, खण्ड–कलायत, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 कलायत, खण्ड– कलायत, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

INDERJIT SINGH
S/o GURDARSHAN SINGH
VILL - MALLU WALA,
PO - WARA WARYAM SINGH WALA,
TEH - ZIRA, DISTT – FEROZPUR-142050 (PUNJAB)
ROLL NO. 5121

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–सीवन, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सरंथान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–सीवन, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृते: महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SURESH CHAND REBARI
S/o HARLAL REBARI
VILL.- JATOLI, POST- AKBARPUR,
TEH. & DISTT.- ALWAR (RAJ) - 301001
ROLL NO. 5054

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–कलायत, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता हैः–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–कलायत, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
@ हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

MONIKA DEVI
D/o AZAD SINGH
W/o. DEEPAK DALAL,
H.No.-248/9A, RISHI NAGAR,
LADHOT ROAD, ROHTAK-124001
ROLL NO. 5004

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, एन.आई.टी.–5 खण्ड–फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फरीदाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फरीदाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, एन.आई.टी.–5 खण्ड–फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SUNIL KUMAR
S/o KAILAS CHANDRA
PLOT NO - 36/187
KIRAN PATH, MANSAROVER
JAIPUR, RAJASTHAN-302020
ROLL NO. 5421

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–बहल, जिला भिवानी** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, भिवानी।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–बहल, जिला भिवानी।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृते: महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

JITENDRA KUMAR
S/o BHOLESHWAR MAHTO
INDIAN RED CROSS SOCIETY,
NAHAN, SIRMOUR (HP) - 173001
ROLL NO. 5513

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–सढ़ौरा, जिला यमुनानगर** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, यमुनानगर से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरिंत नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, यमुनानगर।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–सढ़ौरा, जिला यमुनानगर।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

ANKWINDERJIT KAUR
D/o MANGAL DASS
RAJAN SHARMA, H.NO.-494, SECTOR-4
NEAR POLICE STATION, REWARI - 123401
ROLL NO. 5488

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0क0आदर्शव0मा0वि0, खण्ड–बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फरीदाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फरीदाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0क0आदर्श0मा0वि0, खण्ड–बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

POOJA
D/o RAM NIWAS
VILL - KONSIWAS, PO - MAJRA GURDAS,
TEH & DISTT – REWARI-123401 (HARYANA)
ROLL NO. 5332

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–कनीना, जिला महेन्द्रगढ़** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, महेन्द्रगढ़ से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

MONIKA RANI
D/o MANOHAR LAL
344/18, GALI NO.-1, ARYA NAGAR,
ROHTAK - 124001
ROLL NO. 5454

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–बाड़ढ़ा, जिला भिवानी** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, भिवानी।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–बाड़ढ़ा, जिला भिवानी।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SUMAN LATA
D/o JAI BHAGWAN
RAVI DASS NAGAR,
W.No.-19, CHARKHI DADRI,
DISTT.- BHIWANI - 127306
ROLL NO. 5059

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–चरखी दादरी, जिला भिवानी** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, भिवानी से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, भिवानी।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–चरखी दादरी, जिला भिवानी।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SUSHILA
D/o RAM CHANDER
H.NO.-356A/10 RAM GOPAL COLONY,
GALI NO.-3 SONIPAT ROAD,
ROHTAK - 124001
ROLL NO. 5101

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा; पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0क0व0मा0वि0, खण्ड–खरखौदा, जिला सोनीपत** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, सोनीपत से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, सोनीपत।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0क0व0मा0वि0, खण्ड–खरखौदा, जिला सोनीपत।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

RINA DEVI
D/o JAGWANT SINGH
W/o. SATYAWAN NEHRA, VPO- NINDANA
PANNA TIGRI, TEH.- MEHAM
DISTT. - ROHTAK – 124513
ROLL NO. 5492

आदेश कमांक **KW 1/4-2012 IED-SS (1)**
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **22.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी एम0आर** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0 मण्डी आदमपुर, खण्ड– आदमपुर, जिला हिसार** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, हिसार से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेंगे।
16. यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरिंत नहीं होगा।
17. यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक–सम दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, हिसार
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0 मण्डी आदमपुर, खण्ड– आदमपुर, जिला हिसार।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।